कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–1/अंग्रेजी–संस्कृत/स्थानान्तरण–पदस्थापन/अंग्रेजी/2022 दिनांक 30.11.2022 द्वारा श्री जलदीप कानव, व्याख्याता–अंग्रेजी का स्थानान्तरण राउमावि काजीपुरा, जयपुर से राउमावि गोपीनाथ, कामां (217003) भरतपुर किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री जलदीप कानव ने माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 16/2023 दायर की है जिसमें अपीलार्थी ने कथन किया है कि पति–पत्नी के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर उन्हें यथासंभव एक ही स्थान अथवा पास–पास रखे जाने की नीति रही है।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2023 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पति–पत्नी के राजकीय सेवा में कार्यरत होने, पत्नी की बीमारी, वृद्ध माँ की देखभाल के आधार पर यथावत राउमावि काजीपुरा सांभरलेक, जयपुर में ही पदस्थापित करने की मांग की है।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गय राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 17(30) शिक्षा–2/2021 जयपुर दिनांक 14.07.2022 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों जो कि पूर्व के सभी दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए गए है, के अनुसार विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गंभीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से पीड़ित कार्मिकों को ही स्थानान्तरण में शिथिलता प्रदान किए जाने के निर्देश प्राप्त है। जहां तक अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थितियों एवं पत्नी की बीमारी, मॉ की वृद्धावस्था, पति–पत्नी के राजकीय सेवा में होने का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त दिशा निर्देशों में कार्मिक को उक्त आधारों पर शिथिलता प्रदान किए जाने के निर्देश प्रदान नहीं किए गए है। पति–पत्नी के राजकीय सेवा में होने के आधार पर एक ही स्थान पर पदस्थापन की राज्य सरकार की कोई नीति प्रभावी नहीं है तथा अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में इस बाबत् गलत कथन/तथ्य प्रस्तुत किंये हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भगवान दास मिततल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी 2007(2) 276 में निम्न प्रकार अवधारित किया है " **So far as plea that the transfer has been made to a far away place , it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the state where ever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violence of service rule.**

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

किसी भी लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निर्णय का यह क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने अधीन लोकसेवक को कब, कहाँ और किस समय स्थानान्तरित करता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त के प्रकरण में अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि लोकसेवक के स्थानान्तरण/ पदस्थापन की शक्तियाँ पूर्णतया नियोजक के अधीन है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य मे कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नही होता है।

चूंकि अपीलार्थी श्री जलदीप कानव राज्य सेवा की अधिकारी है तथा सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी किसी भी माध्यम के विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता हैं। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता है। अतः अपीलार्थी श्री जलदीप कानव, व्या0 अंग्रेजी का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज कर आदेशित किया जाता है कि वह तत्काल प्रभाव से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपीनाथ, कामां (217003) भरतपुर में कार्यग्रहण कर पालना से अवगत करावें।

सभी संबंधित सूचित होवें।

Rajasthan Education Department

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/संस्था/सी–1/अंग्रेजी–संस्कृत/जयपुर /अपील–16/23(जलदीप.कानव) दिनांक : 21.03.23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

01 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा............
05. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी..............
06. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक ....।
07. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ...।
08. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
09. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11 सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
12 निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर